मेसर्स आदित्य होटल्स (पी) लिमिटेड

बनाम

बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स लिमिटेड व अन्य

दिनांक- 26-03-2007

[डा. अरिजित पसयात व लोकेश्वर सिंह पंत, जेजे.]

सिविल प्रकिया संहिता, 1908:

आदेश 08 नियम 01- लिखित कथन परिसीमा अवधि के बाद पेश किया- अभिनिर्धारित किया गया की, न्यायालय इसे केवल अपवाद के रूप में और लिखित में कारण लेखबद्ध करते हुए स्वीकार करेगा।

अपीलार्थी द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में प्रतिवादी ने समन की तामील के 142 दिन बाद लिखित कथन पेश किया। विचारण न्यायालय ने 2000 रुपये के खर्चे पर लिखित कथन को स्वीकार किया। विचारण न्यायालय के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका दायर कर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त रूप में रीट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया की विचारण न्यायलय द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया था।

इस न्यायालय में अपील में यह तर्क दिया गया था की 01 जुलाई 2002 से आदेश 08 सीपीसी में संशोधन के बाद, प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का समय दिया जाता हैं, जिसकी गणना प्रतिवादी को समन की तामील की तारिख से मानी जाएगी। यद्यपि उक्त प्रावधान का परन्तुक उस समय के विस्तार की अनुमति देता हैं, जब न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होता हैं। इस मामले में न तो विचारण न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने समय के विस्तार को उचित ठहराते हुए कोई कारण बताया हैं।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया की

1.1 आदेश 08 नियम 01 सीपीसी द्वारा दिए गए समय को बढाने के मापदण्डों को इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में वर्णित किया गया हैं। सामान्यत आदेश 08 नियम 01 द्वारा निर्धारित समय सारणी का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रतिवादी को जागरूक रहना चाहिए। जैसे ही उस पर रीट के समन की तामिल होती है, उसे न्यायालय में अपनी उपस्थिति के लिए नियत तिथि के आने की प्रतिक्षा किए बिना सुनावई हेतु नियत तिथि पर अपने बचाव का प्रारूप तैयार करने और लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय से 30 दिन या 90 दिन के भीतर, जैसा भी मामला हो, समय बढाने की मांग को सामान्य रूप से और केवल पूछे जाने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब 90 दिन की अवधि सामाप्त हो चुकी हो। विस्तार केवल एक अपवाद के रूप में और प्रतिवादी द्वारा

बताए गए कारणों के लिए हो सकता हैं और न्यायालय द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए भी लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता हैं। [पैरा 06] [473-जी-एच; 474-ए-बी]

1.2 चूंकि ना तो विचारण न्यायालय में और ना ही उच्च न्यायालय में नियत समय की समाप्ति के बाद लिखित कथन की स्वीकृति को उचित ठहराने के लिए कोई कारण बताया है, इसलिए विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश रद्द किए जाते हैं। मामले को नए सिरे से सोच-विचार के लिए विचारण न्यायालय में भेजा जाता है। [पैरा 7] [474- डी-ई] कैलाश बनाम नन्हकू व अन्य, [2005] 4 एससीसी 480, पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय अधिकारिताः 2007 की सिविल अपील संख्या-1572

बॉम्बे उच्च न्यायालय के रीट पिटीशन नं. 8574/2005 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 07-03-2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से सीमा बंगारी, अंशुल सिंह और डा. कैलाश चंद।

प्रत्यर्थीगण की ओर से एस.आर.मिश्रा, विमल चंद्र, एस.दवे और नीलम कलसी।

डॉ. अरिजित पसयात, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया।

01. अनुमति प्रदान की।

02. इस अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती हैं। जिसमें अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रीट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था की विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विवेकाधीन था। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09-09-2005 द्वारा प्रत्यर्थीगण को 2000 रुपये के खर्चें पर लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति दी। उक्त आदेश लघुवाद न्यायाधीश पुणे द्वारा सिविल वाद नं. 59/2005 में पारित किया गया था।

03. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:

अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ वाद परिसर को खाली और शांतिपूर्ण कब्जे में लेने की मांग करते हुए न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश पुणे में सिविल वाद नं. 59/2005 दायर किया। वाद दिनांक 24-12-2004 को लघुवाद न्यायाधीश पुणे में दायर किया गया, प्रतिवदीगण को समन जारी किए गए जो दिनांक 22-03-2005 को तामिल हुए। दिनांक 25-04-2005 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वकालतानामा पेश किया और अपने पक्षकार से जानकारी प्राप्त करने और लिखित कथन पेश करने, यदि कोई हो के लिए समय दिए जाने की प्रार्थना की। दिनांक 20-06-2005 को मामला लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए नियत किया गया। तो भी लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता ने और भी समय देने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को अपने जोखिम पर लिखित कथन पेश करने का समय दिया एवं वाद दिनांक 14.07.2005 के लिए नियत किया गया। उस दिनांक को भी

लिखित कथन प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादीगण के जोखिम पर फिर से समय दिया गया। वास्तव में लिखित कथन दिनांक 12-08-2005 को प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता द्वारा लिखित कथन की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय मांगा जो 142 दिन के बाद दायर किया गया। दिनांक 09-09-2005 के अप्रकट आदेश द्वारा, जैसा की उपर उल्लेख किया गया हैं। 2000 रुपये के खर्चें के भुगतान के अधीन लिखित कथन को दर्ज करने और रिपोर्ट पर लेने की अनुमति दी गई थी। भारतीय संविधान 1950 (संविधान) के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक रीट याचिका में विचारण न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने रीट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया गया है।

04. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया की दिनांक 01-07-2002 को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (कोड) के आदेश 08 में संशोधन के बाद, प्रतिवादीगण को लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता हैं। अवधि की गणना समन तामिल होने की तिथि से की जाएगी। हालांकी उक्त प्रावधान का परन्तुक समय के विस्तार की अनुमति देता हैं। जब न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट हो। यह निवेदन किया गया है की ना तो विचारण न्यायालय ने और ना ही उच्च न्यायालय ने समय के विस्तार को उचित ठहराने वाला कोई कारण बताया है।

05. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है की लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए बहाने का कारण दिखाया गया था। हालांकी विस्तृत तर्क नहीं बताए गए थे, आदेश विवेकाधीन होने के कारण किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

06. संहिता के आदेश 08 नियम 01 द्वारा दिए गए समय को बढाने के मापदण्डों को इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में वर्णित किया गया है। कैलाश बनाम नन्नहू व अन्य [2005] 4 एससीसी 480 में इसे निम्न प्रकार वर्णित किया गया था।

> “42 सामान्यतया आदेश 08 नियम 01 द्वारा निर्धारित समय सारणी का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रतिवादी को जागरूक रहना चाहिए। जैसे ही उस पर रीट के समन की तामिल होती है, उसे न्यायालय में अपनी उपस्थिति के लिए नियत तिथि के आने की प्रतिक्षा किए बिना सुनावई हेतु नियत तिथि पर अपने बचाव का प्रारूप तैयार करने आैर लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय से 30 दिन या 90 दिन के भीतर, जैसा भी मामला हो, समय बढाने की मांग को सामान्य रूप से और केवल पूछे जाने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब 90 दिन की अवधि सामाप्त हो चुकी हो। विस्तार केवल अपवाद के रूप में और प्रतिवादी द्वारा बताए गए कारणो से हो सकता है और न्यायालय द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए

लिखित रूप मे भी दर्ज किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए की संहिता के आदेश 08 नियम 01 द्वारा निर्धारित समय सारणी से विचलन की अनुमति दी जा रही थी क्योंकी पस्थितियां असाधारण थी, प्रतिवादी के नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न हुई थी और न्याय हित में इस तरह के विस्तार की आवश्यकता थी और यदि समय नही बढाया गया तो गंभीर अन्याय होगा।

44. समय का विस्तार केवल अपवाद के रूप में और न्यायालय के लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणो के लिए होगा, चाहे वे कितने ही संक्षिप्त क्यों न हो। किसी भी मामले में प्रतिवादी को समय विस्तार मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब न्यायालय संतुष्ट हो की यह प्रतिवादी या उसके अधिवक्ता की ओर से ढीलाई या घोर लापरवाही का मामला है। न्यायालय दोहरे उददेश्य के लिए खर्चा भी अधिरोपित कर सकता हैः (i) प्रतिवादी को केवल मांगने के लिए समय के किसी भी विस्तार की मांग करने से रोकने और (ii) वादी को हुई देरी और असुविधा के लिए मुआवजा देने।"

07. चुंकी ना तो विचारण न्यायालय और ना ही उच्च न्यायालय में तय समय की समाप्ति के बाद लिखित कथन की स्वीकृति को उचित ठहराने के लिए कोई कारण बताया हैं। इसलिए हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों को

रद्द कर देते है। कैलाश के मामले (सुप्रा) में जो कहा गया है उसके आलोक में मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला विचारण न्यायालय को भेजा जाता है। खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती हैं।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नुकेश भगोरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।